

पंजीकृत पावती
भारतसरकार
खानमंत्रालय
भारतीयखानब्यूरो
क्षेत्रीयखाननियंत्रककार्यालय
कर्मयोगीभवन, चतुर्थमाला, ब्लॉक-2, सीविंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



उल्लंघन पत्र
Government of India
Ministry of Mines
Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing,
Sec10A, Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail:ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावलीसंख्या: MCDR-MiFLOLST/61/2022-GNR-IBM_RO_GNR

Mine code: 38GUJ08349

दिनांक: 06.02.2024

सेवामें :

GIGABHAI DUDABHAI KOLI
SUTRAPADA NAVAGAM, SUTRAPADA,
P.O-GORKHMATHI, District: GIR SOMNATH

e mail:-gigadudakoli@gmail.com

Mobile: 9824269310

विषय: गुजरात राज्य के जिला: गिर सोमनाथ की तालुका- सूत्रापाड़ा में स्थित आपकी नवागाम चूना पत्थर खदान, क्षेत्रफल- 2.0 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का रिव्यू खनन योजना निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.09.2023 को किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघनों के प्रकारों का विस्तृत ब्यौरा
28(1)	According to this rule, the holder of a mining lease shall send to the authorized officer, a notice in Form-E when the mining operations in the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding ninety days so as to reach them within one hundred and twenty days from the date of such temporary discontinuance. In your case, mining operations have been discontinued from long time. No such notice in Form-E has been sent till date.
45	The holder of a mining lease shall submit online monthly/ annual returns in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines which shall be submitted before the tenth day of every months in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the respective form. In your case, you have not submitted the monthly returns for the months April 2022 to August 2023 and annual returns for the year 2022-23. Amount to be paid in case of violation under Rule 45, in your case as the due date of submission is over; therefore you are liable to pay such amount for such delay which is yet to be deposited.

- एमसीडीआर 2017 के नियम 45(7 ए)(ii)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, जो निर्धारित करता है कि खनन पट्टा धारक तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर उल्लंघन को सुधारेगा और जमा करेगा, अवधि के लिए अनुसूची-II में निर्दिष्ट राशि उल्लंघन के सुधार की तारीख तक रिटर्न जमा करने की नियत तारीख। इस तत्काल

I/25033/2024 मामले में आप ऊपर बताए अनुसार सुधार की तारीख तक प्रति दिन 10000 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। इस तत्काल मामले में, उल्लंघन का सुधार रिटर्न जमा करना होगा।

3. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
4. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
5. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

सुनील कुमार शर्मा
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर -सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

भवदीय

सुनील कुमार शर्मा
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो